न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 100/2022
ऑनलाईन नंबर 2022/196
निर्णय दिनांक 12.11.2022

1. जगदीश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़
2. हरीकिशन पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़
3. राजाराम राहड़ पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़

बनाम

1. रामलाल पुत्र देराजराम जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. भंवरी पुत्री रामलाल पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी बादनूं तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. मींरा पुत्री रामलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बादनूं तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. सरोज पुत्री रामलाल पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. कमला पुत्री रामलाल पत्नी राधाकिशन जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. बादू पुत्री रामलाल पत्नी बजरंगलाल जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।
8. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा सावंतसर।

उपस्थितिः—

1. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक वादीगण
2. श्री रामलाल नायक अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ही गांव के निवासी है व प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 वादीगण की बहिन है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदाी खेत खसरा नंबर 132 तादादी 10.34 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 79 तादादी 11.93 हैक्टेयर बारानी कुल खसरा 2 कुल तादादी 22.27 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उपर्युक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता देराजराम पुत्र पनाराम की मृत्यु के बाद विरास्तन प्राप्त हुई है। उपर्युक्त कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज देराजराम पुत्र पनाराम की होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 देराजराम के सहदायिक है तथा जन्म से ही उपर्युक्त कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का हक हिस्सा है। वादगत कृषि भूमि खेत खसरा 132 तादादी 10.34 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 79 तादादी 11.93 हैक्टेयर बारानी कुल खसरा 2 कुल तादादी 22.27 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का 2/3 हिस्सा है उपर्युक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में छोड़ दिया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने वादगत खेतों का आपसी बंटवारा कर लिया है। वादगत खेत खसरा नम्बर 79 तादादी 11.93 हैक्टेयर बारानी रोही ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ वादीगण को प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण का ब.हि.ब. कब्जा काश्त है। यह है कि वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी में अपने नाम से दर्ज करने हेतु प्रतिवादी संख्या 7 से दिनांक 08.07.2022 को मिले व जमाबंदी में वादीगण के नाम से खसरा नंबर 79 तादादी 11.93 हैक्टेयर दर्ज करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 7 ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का बताते हुए जमाबंदी में नाम दर्ज करने से मना कर दिया यही वाद हेतुक है। प्रतिवादी संख्या 8 से के.सी.सी. व कृषि ऋण प्रतिवादी संख्या 1 का लिया हुआ है। जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वादगत कृषि भूमि रहन है, इसलिए पक्षकार संयोजित किया गया है। बैंक ऋण राशि चुकाने का दायित्व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का होगा। वादगत कृषि भूमि का लेण्ड होल्डर प्रतिवादी संख्या 7 है जिसे आवश्यक पक्षकार होने के कारण संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 7 से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा पूर्ण कोर्ट फीस व समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है तथा वादगत कृषि भूमि श्रीडूंगरगढ़ तहसील में स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह है कि आवश्यक पक्षकार की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 7 को पक्षकार बनाया गया है। कानूनी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए स्टेट के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80(2) सी. पी.सी. की नोटिस की छूट न्यायालय श्रीमान् से प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावें।

(क) कि इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वादगत खेत खसरा नंबर 79 तादादी 11.93 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. खातेदारी घोषित की जावें।

(ख) कि अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण हो वादीगण के पक्ष में फरमाया जावें।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 जरिये अधिक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया। संक्षेप में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 79 तादादी 11.93 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड दिया है। अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प डयूटी वसूल कर वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब खातेदारी दर्ज करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:25 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरगढ़(बीकानेर)

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

(राष्ट्रीय लोक अदालत)

1. जगदीश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ
2. हरीकिशन पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ
3. राजाराम राहड पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ

बनाम

1. रामलाल पुत्र देराजराम जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. मंवरी पुत्री रामलाल पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी बादनू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. मीरां पुत्री रामलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बादनूं तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. सरोज पुत्री रामलाल पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
5. कमला पुत्री रामलाल पत्नी राधाकिशन जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
6. बादू पुत्री रामलाल पत्नी बजरंगलाल जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ।
8. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा सांवतसर।

मुकदमा नम्बर 100/2022

दावा बाबत घोषणा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण 1 ता 6 श्री रामलाल नायक मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 79 तादादी 11.93 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड दिया है। अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब खातेदारी दर्ज करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुवलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0... फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 12 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.......रूपये पर प्लीडर की फीस	[illegible]	4. [illegible] निर्वाह-भत्ता	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-भत्ता	0	5. [illegible] तामिल	0
6 कमिश्नर की फीस	0	6. [illegible]नर की [illegible]	0
7 आदेशिका की तामिल	[illegible]		
योग	100	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)